

# समाहरणालय, पटना | (शस्त्र शाखा)

फोन नं 0612-2219545 (कारो)  
फैक्स नं 0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

## —: आदेश :—

26-08-2013

आवेदक श्री अनुपम कृष्णन, पिता—श्री सुरेन्द्र कुमार, सा०—अनीता सदन, अमरदीप नगर, पो०—डेलवॉ, थाना—रामकृष्णानगर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या—09-621/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—26.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—26.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—666/गो०, दिनांक—27.06.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु कोई यथेष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, तदनुसार आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, रामकृष्णानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। उनके जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'हाँ' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञाप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा।"

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की ओर प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक

अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अनुपम कृष्णन, पिता—श्री सुरेन्द्र कुमार, सा०—अनीता सदन, अमरदीप नगर, पो०—डेलवॉ, थाना—रामकृष्णानगर, जिला—पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।